296

संख्या– /xxiv(7)/–07(घो0)/2013

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 30 अक्टूबर, 2013

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजकीय महाविद्यालय बड़कोट के भवन निर्माण के कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–शि0का0(उ0शि0)/1149/डी0पी0आर0/2013–14 दिनांक 23.09.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजकीय महाविद्यालय बड़कोट के भवन निर्माण के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो हेतु मांग की गयी धनराशि रू. 11.81 लाख के सापेक्ष टी.एस.सी. वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पायी गयी रू. 7.94 लाख (रू. सात लाख चौरानब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगा। तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक माह के भीतर पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

4– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करे।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य करने से पूर्व औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाय।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य कराया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय।

10– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

...............2/

11– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। प्रथम चरण के प्रक्रियात्मक कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxvii(1)/2011 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयवद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या देते हुए द्वितीय चरण के कार्यो के लिए निर्धारित प्रकियानुसार शीघ्र समयवद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

12– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

13– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

14– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

15– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–04–राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन कय–00–24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 76 (p)/xxvii(3)/2013–14 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधिका झा)
अपर सचिव।

पृ0सं0 2738 (1)/xxiv(7)/–07(घो0)/2013 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
3– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4– कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
6– प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बड़कोट उत्तरकाशी।
7– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9– वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–अपर सचिव मुख्यमंत्री को घोषणा संख्या 263/2013 दिनांक 26.05.2013 के कम में।
11–परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम नई टिहरी।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव।